

वज्रपात – एक जानलेवा प्रहार

चलिए सीखते हैं कि कैसे स्वयं एवं अपने सम्पत्ति की सुरक्षा वज्रपात से की जाए।

जब आप घर के भीतर हों – निम्न निर्देशों का पालन करें :-

- बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, तार वाले टेलीफोन का उपयोग न करें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें ।
- ऐसी वस्तुएँ जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें, धातु से बने पाईप, नल, फव्वारा, वॉशबेसिन आदि के संपर्क से दूर रहें।
- कपड़े सुखाने के लिए तार का प्रयोग न कर जूट या सुत की रस्सी का प्रयोग करें ।

जब आप घर के बाहर हों – निम्न निर्देशों का पालन करें :-

- ऊँचे वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं, कृपया उनके नीचे न खड़े रहें । ऊँची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लें । समूह में न खड़े रहें, बल्कि अलग-अलग हो जाएँ।
- किसी पक्के मकान में आश्रय लेना बेहतर है । सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें ।
- बारह रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें । बाईक, बिजली या टेलीफोन का खम्भा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें, यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएँ।
- बारिश के समय धातु की डंडे वाले छाते का उपयोग न करें ।

जब आप खेत, खलिहान में काम कर रहे हैं – निम्न निर्देशों का पालन करें :-

- गीले खेतों में हल चलाते, रोपनी या अन्य कार्य कर रहे किसान तथा मजदूर या तालाब में कार्य रहे व्यक्ति तुरंत सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर जाएँ।
- धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने को दूर कर लें।

जब आप खेत, खलिहान में काम कर रहे हों तथा किसी सुरक्षित स्थान में शरण लें पाने में असमर्थ हों – निम्न निर्देशों का पालन करें :-

- जहाँ हैं वहीं रहें हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे- लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा, या सूखे पत्ते रख लें ।
- दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न छुआयें।
- जमीन पर कदापि न लेटें ।

जब आप जंगल में हों – निम्न निर्देशों का पालन करें :-

बौने एवं घने पेड़ों की शरण में चले जाएँ।

वज्रपात का झटका लगने पर क्या करें –

वज्रपात के झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) यानी कृत्रिम श्वास देनी चाहिए । तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने की व्यवस्था करें ।

वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति की सूचना अपने अंचलाधिकारी / जिले के जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अथवा उपायुक्त को तत्काल दें ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जनहित में प्रकाशित ।